राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 (III)आ.कृ./फ.बी./ 2026–27/6874-6934 दिनांकः 30.07.2026

कार्यालय आदेश

विषयः– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2026–27 हेतु फसल बीमा कराने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.07.2026 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। भारत सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। उक्त अधिसूचना एवं भारत सरकार को लिखे पत्र के अनुसरण में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं–

1. राज्य में वर्ष 2026–27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित चार फसल बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा–

(i) एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेडः– भरतपुर, चूरू, दौसा, डीग, झालावाड़, कोटा, बालोतरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं टोंक।

(ii) ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः– अलवर, हनुमानगढ़, खैरथल–तिजारा, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर, पाली, फलौदी एवं प्रतापगढ़।

(iii) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः– अजमेर, जैसलमेर, जालौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, बूंदी, डीडवाना–कुचामन, डूंगरपुर एवं जयपुर।

(iv) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडः– बारां, भीलवाड़ा, झुन्झुनू, कोटपुतली–बहरोड़, नागौर, ब्यावर, करौली, सलूम्बर, सीकर एवं श्रीगंगानगर।

2. राज्य के ऋणी एवं गैर–ऋणी किसान वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 16.08.2026 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी कृषकों के लिए बीमा करवाना स्वैच्छिक है।
4. फसल बीमांकन हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल खरीफ फसलों के लिए खोल दिया गया है। गैर–ऋणी किसानों के लिए एग्रीस्टैक आईडी होना अनिवार्य है।
5. योजना के प्रावधानानुसार कृषक बीमांकन की अंतिम तिथि से दो दिन पूर्व अर्थात् 14.08.2026 तक फसल के नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं तथा अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व अर्थात् 09.08.2026 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में घोषणा–पत्र प्रस्तुत कर योजना से बाहर हो सकते हैं।
6. किसानों द्वारा देय प्रीमियम दरें निम्नानुसार होंगीः–

   खरीफ की अनाज, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए– 2 प्रतिशत
   रबी की अनाज, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए– 1.5 प्रतिशत
   वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए– 5 प्रतिशत
   शेष प्रीमियम भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

सभी संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/सहायक निदेशक कृषि एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें तथा किसानों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। वित्तीय संस्थानों एवं बीमा कंपनियों से समन्वय स्थापित कर मौसम सत्र खरीफ 2026 हेतु फसल बीमा कराने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित किया जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(नरेश कुमार गोयल)
आयुक्त कृषि

क्रमांक : एफ 6 (III)आ.कृ./फ.बी./ 2026–27/6874-6934 दिनांकः 30.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उद्यानिकी एवं पंचायती राज (कृषि), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड समस्त।
3. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, जयपुर/रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समस्त।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि०/ओरिऐन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि०/नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि०/यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जयपुर।
6. राज्य प्रमुख, सी०एस०सी०/प्रबन्ध निदेशक, अपेक्स बैंक, राज०, जयपुर।
7. आरक्षी पंजिका।

आयुक्त कृषि